

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / / 2017


// आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक 1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2016/1070-71 दिनांक 07.11.2016 के तहत डॉ० शुभम् गुप्ता, दंत चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, शाजापुर को मान सरोवर डेन्टल कॉलेज, भोपाल से 3 वर्ष के स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु दिनांक 01.07.2016 से 30.06.2018 तक 2 वर्ष के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की गई थी।

उक्त पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होने के कारण डॉ० शुभम् गुप्ता, दंत चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, शाजापुर द्वारा 01 वर्ष के अवकाश का निराकरण करने का अनुरोध किया गया है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 6414 दिनांक 16.08.2018 में 142 दिवस का अर्जित अवकाश एवं 140 (70) दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश की पात्रता का लेख किया गया है।

उपरोक्त पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होने के कारण उक्त प्रकरण में विचारोपरान्त डॉ० शुभम् गुप्ता, दंत चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, शाजापुर का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश नियम-1977) में दिये गये प्रावधानानुसार अध्ययन अवकाश नियम-45 के अनुसार 4 माह कुल 120 दिन अध्ययन अवकाश एवं अवकाश खाते अनुसार 142 दिवस का अर्जित अवकाश तथा 140 अर्द्धवैतनिक अवकाश में से 70 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश इस तरह 332 दिवस शेष 33 दिवस का अवैतनिक अवकाश कुल (365 दिवस) एक वर्ष का अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-



(विवेक श्रीत्रिय)


अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2017 / 1930

भोपाल, दिनांक 22/12/2017

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
03. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश।
04. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला शाजापुर, म0प्र0
05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला शाजापुर, म0प्र0
06. डॉ० शुभम् गुप्ता, दंत चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, शाजापुर की ओर पालनार्थ।
07. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।



अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश